

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक-प.4(1)वित्त/आबकारी/2019

दिनांक: 23.02.2019

आबकारी आयुक्त,
उदयपुर, राजस्थान।


विषय:- आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2019-20 में संशोधन बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्ष 2019-20 हेतु आबकारी एवं मद्यसंयम नीति इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 1.2.2019 के द्वारा जारी की जा चुकी है। पूर्व में जारी आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2019-20 के निम्नांकित बिन्दुओं पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. **बिन्दु संख्या 4.9.1:-** देशी मदिरा पर आबकारी शुल्क रु0 150/- प्रति एल.पी.एल. के स्थान पर रु0 160/- प्रति एल.पी.एल. किया जाता है।
2. **बिन्दु संख्या 3.18 (i) एवं 4.6:-** भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर पर कम उठाव की स्थिति में कम उठाई गई मात्रा पर क्रमशः 30 रूपये एवं 20 रूपये प्रति बल्क लीटर की अतिरिक्त राशि के स्थान पर क्रमशः राशि रु0 20/- एवं रु0 10/- प्रति बल्क लीटर किया जाता है।
3. **बिन्दु संख्या 3.4.2 एवं 4.9.5:-** भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रथम दो स्लेब पर निर्धारित की गई भारत निर्मित विदेशी मदिरा की ड्यूटी का मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के न्यूनतम 10 प्रतिशत तथा अधिकतम 20 प्रतिशत तक उठाव करने पर मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत भराव इस स्लेब में निर्धारित ड्यूटी के पेटे दिये जाने के स्थान पर प्रथम दो स्लेब की वास्तव में उठाई गई भारत निर्मित विदेशी मदिरा के आबकारी शुल्क के बराबर खुदरा अनुज्ञाधारी को भराव (समायोजन) दिया जाता है तथा यह उठाव मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि का न्यूनतम 5 प्रतिशत एवं अधिकतम 20 प्रतिशत तक हो सकेगा, जो कि पूर्व की तरह स्वैच्छिक होगा।
4. **बिन्दु संख्या 4.9.4 का बुलेट पॉइन्ट 2:-** भारत निर्मित विदेशी मदिरा का 90 ml एवं 180 ml पैकेजिंग उत्पादन एवं विक्रय ग्लास पात्र के साथ-साथ टेट्रा पैक एवं पेट (Pet) में भी किया जाता है।
5. **बिन्दु संख्या 4.9.9:-** फ्रेन्चाईज अनुबंध के आधार पर देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी की बोतल भराई पर लागू बोटलिंग फीस रूपये 7/- प्रति बल्क लीटर के स्थान पर समस्त प्रकार की मदिरा की बोतल भराई पर वर्तमान में देय बोटलिंग फीस पर राशि रूपये 0.50/- प्रति बल्क लीटर की वृद्धि की जाती है।

आबकारी एवं मद्यसंयम नीति के उपर अंकित प्रावधानों के संदर्भ में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करावें। आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2019-20 के शेष प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति 2019-20 के अनुसार एवं पूर्व में जारी स्पष्टीकरण के अनुसार होंगे।

आबकारी एवं मद्यसंयम नीति एवं इसके पश्चात् जारी स्पष्टीकरण/संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में जारी किये जाने वाले नोटिफिकेशन के प्रारूप शीघ्र प्रेषित करावें एवं उपरोक्तानुसार वर्ष 2019-20 हेतु आबकारी बंदोबस्त की कार्यवाही को अनिवार्य रूप से दिनांक 31.03.2019 तक पूर्ण कर विभाग को सूचित करावें।

भवदीय,

(डॉ० पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)